फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 59/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/92) **टेका के बजाय लोगरी व अन्य बनाम सूर्यकांता के बजाय पवन व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.08.2024	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री गिरधारीलाल शर्मा - वकील अपीलार्थी 2. श्री दिलीप कुमार सुथार - वकील प्रत्यर्थी-4 **अनवान** 1. श्री टेका पिता रामा जी भील (गमेती) निवासी धोली मगरी बेड़वास, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर के बजाय- 1.1. श्रीमती लोगरी पत्नि श्री टेका भील गमेती, निवासी धोली मगरी बेड़वास, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर। 1.2. श्री इन्दरमल पिता श्री टेका भील गमेती, निवासी धोली मगरी बेड़वास, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर। 2. श्रीमती लोगरी पत्नि श्री टेका भील गमेती, निवासी धोली मगरी बेड़वास, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर। **-अपीलार्थी** **बनाम** 1. मृतक श्रीमती सुर्यकान्ता पत्नि श्री जयनारायण रोत के बजाय श्री पवन कुमार पिता जयनारायण जी रोत (मीणा), निवासी 129सी, प्रतापनगर, उदयपुर। 2. श्री ऊंकार पिता श्री लोगरिया जी गमेती (भील) के बजाय श्री मदन पिता ऊंकार गमेती (भील), निवासी 282 धाउ जी की बावड़ी, बेडवास, तहसील गिर्वा, उदयपुर। 3. श्री कुका पिता ऊंकार गमेती (भील), निवासी 282 धाउ जी की बावड़ी, बेडवास, तहसील गिर्वा, उदयपुर। 4. नगर विकास प्रन्यास जरिये सचिव, उदयपुर **-प्रत्यर्थी** **प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित आदेश अन्तर्गत धारा-90बी क्रमांक नियमन/नविप्र/2001/16 से 20 दिनांक 11.05.2001 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-90बी भू-राजस्व अधिनियम 1956** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 06.08.2024 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित आदेश अन्तर्गत धारा-90बी क्रमांक नियमन/नविप्र/2001/16 से 20 दिनांक 11.05.2001 के विरुद्ध पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- ● राजस्व ग्राम बेडवास, तहसील गिर्वा में 41 व 54 कुल किता 14 रकबा 1.8750 हैक्टयेर भूमि स्थित है, जिसका राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90बी के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 59/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/92) **टेका के बजाय लोगरी व अन्य बनाम सूर्यकांता के बजाय पवन व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने बाबत प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा आदेश दिनांक 11.05.2001 को पारित किया।

प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित आदेश अन्तर्गत धारा-90बी दिनांक 11.05.2001 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर को दिनांक 28.10.2014 को मयाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत किया जिस पर आपत्ति आरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त पत्रावली दिनांक 13.06.2017 को न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को प्राप्त हुई। कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 96 दिनांक 05.01. 2024 के क्रम में हस्तगत प्रकरण इस न्यायालय को प्राप्त हुआ, जिस दर्ज रजिस्टर पर पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 31.07.2024 को अधिवक्ता अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी-4 उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई। अन्य बावजुद सूचना अनुपस्थित।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि मौजा बेड़वास के आराजी संख्या-49, 50, 53, 54 कुल किता 4 रकबा 0.7800 हैक्टर कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा उंकार, कुका पिता लोगरिया एवं श्रीमती जेता बेवा लोगरिया का है व 1/2 हिस्सा टेका पिता श्री राम गमेती का है। इसी प्रकार मौजा बेड़वास के आराजी संख्या-41 से 48, 51, 52, कुल किता 10 रकबा 1.0900 हैक्टर कृषि में 1/2 हिस्सा उंकार, कुका पिता लोगरिया, श्रीमती जेती बेवा लोगरिया का 1/2 हिस्सा व पवन कुमार पिता जयनारायण रोत का 1/4 हिस्सा, श्रीमती लोगरी पत्नि टेका भील का 1/4 हिस्सा है। टेका एवं लोगरी द्वारा अपनी कृषि भूमि का कोई भाग न तो नगर विकास प्रन्यास मे सरेन्डर किया, न किसी को विक्रय किया, न भूमि का रूपान्तरण कराने हेतु किसी को अधिकृत किया, न कोई दस्तावेज लिखा फिर भी अपीलान्टस् की भूमि की 90बी की कार्यवाही होकर भूमाफियाओं ने एवं अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी से मिल फर्जी पट्टे बनवा लिये। आराजी संख्या-41 से 48, 51 व 52 में श्रीमती सुर्यकान्ता का जो 1/4 हिस्सा था एवं अपीलान्ट लोगरी पत्नि टेका जी का 1/4 हिस्सा था दोनों का 1/2 हिस्सा था किन्तु अपीलान्ट लोगरी पत्नि टेका के नाम पर 1/4 भूमि होने के कारण बिना भूमि का विभाजन किये किसी प्रकार के कोई पट्टे प्रदान नहीं करना चाहिए था। पुर्नग्रहण आदेश बिना विभाजित भूमि के विधि विरूद्ध तरिके से पारित कर दिया। आराजी संख्या-49 से 54 में श्रीमती लोगरी पत्नि टेका भील का 1/2 हिस्सा अंकित है जो गलत अंकित है, इसमें टेका पिता रामाजी भील होना चाहिए। अपीलान्टस् आदिवासी है एवं इनकी कृषि भूमि सवर्ण जाति को हस्तातरित करने का दुष्कृत्य प्राधिकारी अधिकारी से मिलकर यह जानते हुए कि अपीलान्ट द्वारा कोई भूमि विक्रय नहीं की, न अपीलान्ट ने अपनी भूमि का भूरूपान्तरण कराये जाने हेतु निवेदन किया, फिर भी अपीलान्ट के परोक्ष रूप से उक्त भूमि के पुर्नग्रहण आदेश एवं पट्टे जारी कर दिये। रेस्पोडेंट ने प्राधिकृत अधिकारी से मिलकर असत्य निर्णय पारित करवाया गया है एवं उक्त निर्णय की कोई जानकारी अपीलार्थी को कभी भी नहीं दी। प्राधिकृत अधिकारी का यह दायित्व था कि वे हम अपीलान्टस् को सूचना देते एवं अपीलान्ट्स को सुनते एवं सुनकर निर्णय करते परन्तु उनके द्वारा आदिवासी की भूमि का सवर्ण जाति के व्यक्तियों को प्रदान किये जाने हेतु अविधिक निर्णय पारित किया। उक्त निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को नहीं होने से अपीलार्थी द्वारा नकल हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र किये जिस पर नकल प्राप्त कर हस्तगत अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 59/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/92) **टेका के बजाय लोगरी व अन्य बनाम सूर्यकांता के बजाय पवन व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर का निर्णय अपास्त फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी-4 द्वारा बहस में कथन किया कि अपील अपीलार्थी द्वारा मयाद बाहर पेश की है जिसका कोई उचित आधार दैनिक स्तर पर नहीं बताया गया है। नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा अनुमोदित योजना अनुरूप राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90बी और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार ऐसी भूमि का अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा की कार्यवाही नियमानुसार की गई। धारा 90बी की कार्यवाही से पूर्व सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन किया गया तब अपीलार्थी को अपनी आपत्ति प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी समक्ष दर्ज करानी थी। आलौच्य आदेश नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुए सम्बन्धित से टिप्पणी/रिपोर्ट प्राप्त कर विधिक रूप से पारित किया गया। अतः निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील निराधार, मयाद बाहर होने से तथा स्वच्छ हाथों से सहीं तथ्य पेश नहीं करने से खारिज होने योग्य हैं।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

जैसा की उपरोक्त पेरा में अंकित किया गया है कि अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत की, जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए हस्तगत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलाधीन आदेश अपीलार्थीगण के परोक्ष पारित किये जाने से न्यायहित में अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम स्वीकार की जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है। इसके अतिरिक्त विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण आदेशों पर मयाद के बिन्दु लागु नहीं होता है, अपीलाधीन आदेश की विधिक स्थिति में संबंध में इस निर्णय के अनुवर्ती अनुच्छेद में विवेचन किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि राजस्व ग्राम बेडवास, तहसील गिर्वा में 41 व 54 कुल किता 14 रकबा 1.8750 हैक्टयेर भूमि स्थित है, जिसका राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90बी के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने बाबत प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा आदेश दिनांक 11.05.2001 को पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर कही भी यह दस्तावेज उपलब्ध नहीं है कि अपीलार्थी अथवा अपीलार्थी के पुर्वाधिकारी द्वारा धारा-90बी कार्यवाही हेतु अधीनस्थ न्यायालय समक्ष समर्पित किया हो, न ही अधिवक्ता प्रत्यर्थी ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया हो जो यह साबित करता हो कि अपीलार्थी अथवा अपीलार्थी के पुर्वाधिकारी द्वारा उसके खातेदारी भूमि को धारा-90बी की कार्यवाही हेतु समर्पित किया हो। न उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि का विधिवत बटंवारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब है। प्राविधत है कि अविभाजित भूमि पर प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक भाग पर हक व अधिकार निहित होता है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह स्थिति तो स्पष्ट है कि खातेदार काश्तकार अपीलार्थी अथवा अपीलार्थी के पुर्वाधिकारी द्वारा जमाबंदी संवत् 2055 से 2058 में अंकित अपनी खातेदारी के आराजीयात में निहित हिस्से को कभी भी अधीनस्थ न्यायालय समक्ष धारा-90बी कार्यवाही हेतु

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 59/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/92) **टेका के बजाय लोगरी व अन्य बनाम सूर्यकांता के बजाय पवन व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	समर्पित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष यह स्थिति स्पष्ट थी कि उपरोक्त आराजीयात में अपीलार्थी अथवा उसके पूर्वाधिकारी का जमाबंदी संवत् 2055 से 2058 अनुसार हिस्सा निहित है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी खातेदारान को बिना सूचित किये, नोटिस दिये, उसके द्वारा बिना समर्पण कराये, उसकी खातेदारी भूमि के संबंध में धारा-90बी के तहत आदेश पारित कर दिया गया। न्याय का यह प्रतिपादित सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी आदेश पारित किये जाने से पूर्व उसे पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी के नाम आदेश पारित किये जाने से पूर्व उसे अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया, जो किसी प्रकार से समर्थन योग्य नहीं होकर अपास्त किये जाने योग्य है। परिणामतः **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.05.2001 को अपास्त किया जाता है।** तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (सी.आर.देवासी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	